उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 21/2026 दिनांक :07.04.2026

परिवादी :– श्री अमित चौहान पुत्र श्री बलबीर सिंह, पता–खेड़ली, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री अमित चौहान पुत्र श्री बलबीर सिंह, पता–खेड़ली, रूड़की द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 4 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उन्होने एक शिकायती पत्र, के साथ संलग्नक पत्र अधिशासी अभियंता को सम्बोधित करते हुए कथन किया है कि उनके द्वारा एक भूमि चक सं0–198 के प्रस्तावित गाटा सं0–178, रकबई 1.055 हेक्टेयर स्थित–ग्राम दौलतपुर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार को उसके तत्कालीन स्वामी श्री नेमचंद पुत्र हुकुम चंद जैन व श्री श्रीमंदर लाल जैन पुत्र रोशनलाल जैन, निवासीगण–फ्रेण्डस कालोनी, पोस्ट–गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार से दिनांक 04.04.2024 को क्रय किया था, जिसका पंजीकरण बही सं0–1, जिल्द 8105 के पृष्ठ सं0–1 से 44, क्रमांक संख्या 2831, दिनांक 04.04.2024 कार्यालय–उपनिबंधक द्वितीय, रूड़की, हरिद्वार पर दर्ज है। उक्त भूमि को क्रय करने के उपरांत उनको भूमि की सिंचाई हेतु एक विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी। जिसके लिए उन्होने विद्युत विभाग में आवेदन किया। अवर अभियंता ने उनके आवेदन पत्र को दिनांक 03.06.2024 को निरस्त करते हुए उनको सूचित किया कि रजिस्ट्रेशन संख्या–518300524017 की साईट की जांच की गई, जिसमे पाया गया कि उसी परिसर पर एक संयोजन सं0–689डीपीपी9670822 पूर्व में भी चल रहा था, जिस पर बकाया धनराशि रू0. 50461.00 मात्र है एवं इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि "उसी परिसर पर चैकिंग के दौरान विद्युत चोरी भी पाई गई थी, जिसका राजस्व निर्धारण होना अभी शेष है। जिस कारण बकाया होने के कारण नये संयोजन हेतु आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। उक्त के विरूद्ध उनकी ओर से समस्त तथ्यो के साथ एक याचिका WPMS NO-1846/2024 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.07.2024 की प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उनके द्वारा सिंचाई हेतु 8 एच0पी0 भार के लिए विद्युत विभाग के समक्ष आवेदन दिनांकित 12.07.2024 को प्रेषित किया गया, जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा उनसे रू0. 1000.00 APPLICATION FEE रसीद सं0–211507243021/5356416 के द्वारा जमा कराये गये तथा रू0. 33000.00 जिसमें रू0. 9000.00 मैटेरियल सिक्योरिटी व रू0. 24000.00 सिक्योरिटी धनराशि शामिल है जो रसीद सं0–518180724201/5356451 द्वारा जमा कराये गये। दिनांक 19.07.2024 को मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र सं0–9/28 के द्वारा उनके ट्यूबवेल पर सिचांई हेतु 6 किलोवाट का कनेक्शन संयोजित किया। उनका विद्युत संयोजन विधा RTS-4 (PRIVATE TUBE WELLS/PUMPS SYSTEM) के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई FIX CHARGE नही होता है और ENERGY CHARGE की दर 2.55/केडल्यूएच है। उनको विद्युत विधा RTS-9 के अंतर्गत अस्थाई SUPPLY दी गयी है, जिसमें लागू दर का 25 प्रतिशत बढ़ाकार लिए जाने का प्रावधान है। विधा RTS-4 में एक वर्ष में दो बार (जून एवं दिसम्बर) में बिल बनाये जाने का प्रावधान है। विद्युत विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों का उल्लघंन किया जा रहा है। विभाग से मैटिरियल चार्ज एवं सिक्योरिटी की गलत धनराशि चार्ज की है। साथ ही उनका बिल 9.19 पैसे प्रति की दर से बनाते हुए प्रतिमाह रू0. 3300.00 फिक्स डिमाण्ड चार्ज भी जोड़ा जा रहा है, जिस पर उनकी घोर आपत्ति है। उक्त कृत्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0–WPMS NO-1846/2024 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांकित 11.07.2024 के अनुरूप न होने के कारण न्यायालय अवमानना के अंतर्गत दण्डनीय है। उनके द्वारा उक्त आशय का प्रार्थनापत्र विभाग को दिनांक 17.03.025 को प्राप्त कराया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.03.2025 में उनके द्वारा विद्युत विभाग से प्रार्थना की गई थी कि विद्युत विभाग अविलम्ब उनके विद्युत बिल को नियमानुसार विधा RTS-4 तैयार करते हुए विधि सम्मत धनराशि की मांग बिल उनको प्रेषित करे। अन्यथा की स्थिति में वह विभाग के विरूद्ध यथासम्भव कानूनी कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। परंतु विद्युत विभाग ने आज दिनांक तक उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त शिकायत का निस्तारण कर दिया जाए।

विपक्षी जवाब– विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागज सं0 9 ता 54 पत्र संख्या 6056 दिनांकित 05.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री अमित चौहान का पत्र इस कार्यालय को 18.11.2025 को प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा अपने विद्युत बीजक अस्थाई संयोजन संख्या 6869999205869 के विद्युत बीजक RTS-4 विधा में बनाये जान हेतु निवेदन किया। माननीय फोरम को अवगत कराना है कि श्री अमित चौहान अपीलकर्ता/आवेदनकर्ता को उक्त अस्थाई विद्युत संयोजन माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित वाद संख्या WPMS NO-1846/2024 में पारित

अंतरिम आदेश दिनांक 11.07.2024 के आधार पर अस्थाई संयोजन को निर्गत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा निर्गत आदेश पुनः निम्न अनुसार उद्धत करना है।

"In the meantime, subject to petitioner making fresh application for electricity temporary connection and also depositing such additional security as required under the Electricity Code, electricity temporary connection shall be provided to the petitioner, within one week from the date of making such application. The amount deposited by petitioner, shall be subject to final outcome of the writ petition"

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल मे योजित वाद संख्या WPMS NO-1846/2024 में पारित आदेशो के अनुपालन में श्री अमित चौहान ने इस कार्यालय में अस्थाई संयोजन लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। चूंकि वर्तमान में माननीय नियामक आयोग के अनुसार निजि नलकूप के संयोजन को अस्थाई विधा में निर्गत किये जाने का प्रावधान नही है। अतः आवेदन कर्ता / अपीलकर्ता श्री अमित चौहान का आवेदन अस्थाई अघरेलू विधा में निर्गत भी किया गया एवं विद्युत बीजक भी अस्थाई अघरेलू विधा के अनुसार निर्गत किये गये जिसका भुगतान श्री अमित चौहान द्वारा किया गया है। माननीय फोरम के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय में आवेदक कर्ता द्वारा की गई अपील व विभाग द्वारा उसका प्रतिउत्तर की छायाप्रतिया इस संयोजन का सम्पूर्ण विवरण हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

–:विचारणः–

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री कुनाल शर्मा तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियंता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 06.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 19.07.2024 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.09.2024 तथा दिनांक 03.01.2025 को, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष, New RTS-9 Non- Domestic (Construction) श्रेणी के अंतर्गत, विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष RTS-4 (निजी नलकूप) के बजाय RTS-9 के अंतर्गत, विद्युत बिल जारी किए जाने पर, उक्त शिकायत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, ग्राम दौलतपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार स्थित, भूमि चक संख्या–198, प्रस्तावित गाटा संख्या–178, रकबई 1.055 है0 कृषि भूमि दिनांक 04.04.2024 को, श्री नेमचंद जैन तथा श्रीमंदर लाल जैन से क्रय की गई है। पूर्व में श्री नेमचंद तथा श्रीमंदर लाल जैन द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति श्री कृष्णापुरी से, दिनांक 11.11.2022 को क्रय की गई थी। परिवादी द्वारा, उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु, निजी नलकूप के प्रयोगार्थ, एक विद्युत संयोजन के लिए आवेदन पत्र, विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत सम्पत्ति पर पूर्व में गतिमान विद्युत संयोजन के सापेक्ष रू0 50461.00 की धनराशि, विद्युत बकाये के रूप

में लंबित होने के परिणामस्वरूप, प्रश्नगत सम्पत्ति पर, परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदित विद्युत भार/संयोजन को स्वीकृत नहीं किया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत सम्पत्ति पर, निजी नलकूप हेतु, विद्युत संयोजन स्वीकृत न किए जाने के विरूद्ध, परिवादी द्वारा एक याचिका, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्तमान में गतिमान है। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा, दिनांक 11.07.2024 को, एक अस्थायी विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। विपक्षी विभाग के कथनानुसार, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अनुसार, केवल घरेलू/अघरेलू/निर्माण कार्य हेतु ही, अस्थायी विद्युत संयोजन स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है। परिणामस्वरूप, परिवादी द्वारा अस्थायी संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन को, अस्थायी/अघरेलू विद्या के अंर्तगत स्वीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त संयोजन के सापेक्ष, RTS-9 के अनुसार लागू दरों पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं परंतु परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के माध्यम से, विद्युत का उपभोग, निजी नलकूप हेतु किए जाने की दशा में, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष, RTS-9 के स्थान पर RTS-4 के अंतर्गत लागू विद्युत दरों में विद्युत बिल जारी किए जाने हेतु, मंच के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया है कि परिवादी द्वारा, प्रस्तुत शिकायत में उल्लेखित विषय को, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के सम्मुख भी प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्तमान में गतिमान है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश) विनियम, 2019 के अंतर्गत, अध्याय 3 (3) के अंतर्गत किए गए प्राविधानों के अनुसार, फोरम उन शिकायतों पर विचार नहीं करेगा जो उन्हीं विषय से संबंधित किसी न्यायालय, प्राधिकरण या किसी अन्य फोरम के समक्ष विचाराधीन है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत, समान विषय पर, याचिका, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष विचाराधीन होने के परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत को इस मंच द्वारा स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। परन्तु दौरान सुनवाई परिवादी ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही आदेश की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत रिट स0–1846/2026 मे सुनवाई हेतु 4.06.2026 की तिथि नियत कर दी गई है। उक्त स्थिति मे परिवादी अपने बिल की निर्विवादित धनराशी विपक्षी को अदा करना चाहता है ताकि परिवादी पर एल.पी.एस. धनराशी का दण्ड भार न पडे। उक्त स्थिति में परिवादी की मंशा सदाशयी 'Bona fide' है भुगतान अदा करने से परिवादी को वंचित किया जाना न्याय संगत नही होगा। RTS-4 के अन्तर्गत बनने वाली धनराशी निर्विवादित है जिसे परिवादी अदा करना चाहता है। यह तथ्य मान्य उच्चन्यायालय तय करेगा कि विद्युत दर RTS-4

की रहेगी या जो विपक्षी द्वारा चार्ज की गई दर ही रहेगी। RTS-4 की दर विपक्षी द्वारा बिल मे चार्ज की गई दर से कम है। लेकिन यह तथ्य प्रमाणिक है कि परिवादी को कम से कम RTS-4 की तत्कालीन दरो पर विद्युत बिल का भुगतान करना ही होगा जिसे परिवादी अदा करना चाहता है। उक्त भुगतान को परिवादी से जमा कराया जा सकता है जोकि मान्य उच्चन्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट स0—1846/2026 में दिये जाने वाले निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा। उपरोक्त अनुसार भुगतान जमा कराये जाने से मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ विनियम, 2019 के अध्याय 3 (3) के प्रावधानो का उल्लघन नही होता है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाना न्याय के सिद्वातो की दृष्टि से उचित है।

आदेश

परिवादी का परिवाद इस स्तर तक स्वीकार किया जाता है कि परिवादी मान्य उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका स0—1846/2024 के निर्णय/आदेश तक विपक्षी को RTS-4 की तत्कालीन दर पर विद्युत बिल धनराशी का भुगतान अदा करे तथा विपक्षी धनराशी प्राप्त करे, जोकि मान्य उच्च न्यायालय नैनीताल के रिट याचिका स0—1846/2024 में निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा। परिवाद का अन्य विषय मान्य उच्च न्यायालय नैनीताल मे विचाराधीन होने के कारण इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष पेश हो। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

		07/04/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 26/2025 दिनांक : 15.04.2026

परिवादी :– मै0 मोड ऑटोमाबाईल्स प्रा0 लि0, श्री जे.पी.वाष्णेय, प्लाट नं0–28, सेक्टर–आईआईडीसी, आईआईई, सिड़कुल, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिड़कुल, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0, श्री जे.पी.वाष्णेय, प्लाट नं0–28, सेक्टर–आईआईडीसी, आईआईई, सिड़कुल, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–एचआर0के000008548, के सन्दर्भ में कथन किया है कि दिनांक 04.09.2025 को स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से ही केडब्लूएच एवं केवीएएच रीडिंग में असामान्य अन्तर आ रहा है। जिसके कारण पावर फैक्टर को नियन्त्रित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त शिकायत का समाधान कर दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 491 दिनांकित 28.02.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0, प्लाट नं0–28, सेक्टर–आई0आई0डी0सी0, सिड़कुल, हरिद्वार के संयोजन सं0–एचआर0के000008548–विद्युत भार 89 के0वी0ए0 का, माह 01/2026 का विद्युत बीजक रू0. 75282.00, स्मार्ट मीटर के अनुसार निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के संयोजन पर, मै0 गढ़वाल स्मार्ट मीटरिंग प्रा0 लि0 द्वारा, दिनांक 04.09.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री ओम सिंह उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 75.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 04.02.2010 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.01.2026 तक, एमयू0 आधार पर, बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या 5136913 को, स्मार्ट मीटर संख्या 8103164 द्वारा, दिनांक 04/09/2025 को, प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी के कथनानुसार, उक्त स्मार्ट मीटर को स्थापित किये जाने के उपरान्त, केडब्लूएच तथा केवीएएच के सापेक्ष दर्ज विद्युत खपत की मात्रा में, असामान्य अन्तर के आधार पर, कम पावर फैक्टर दर्ज होने की शिकायत, मंच को प्रेषित की गई है। क्रमशः.....02

इसी क्रम में, मंच द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत स्मार्ट मीटर की एमआरआई रिपोर्ट, प्रस्तुत की गई है। एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, केडब्लूएच तथा केवीएएच के सापेक्ष, निम्नानुसार, विद्युत खपत, दर्ज की गयी है:

अवधि		विद्युत खपत (केडब्लूएच0)					विद्युत खपत (केवीएएच0)					पावर फैक्टर (%)
		आई आर	एफ आर	अन्तर	एम एफ	खपत	आईआर	एफआर	अन्तर	एम एफ	खपत	
04.09.25	01.10.25	00	189	189	40	7560	00	287	287	40	11480	65.85
01.10.25	01.11.25	189	371	182	40	7280	287	546	259	40	10360	70.27
01.11.25	01.12.25	371	561	190	40	7600	546	773	227	40	9080	83.70
01.12.25	01.01.26	561	767	206	40	8240	773	991	219	40	8760	94.06
01.01.26	01.02.26	767	969	202	40	8080	991	1207	216	40	8640	93.51
01.02.26	01.03.26	969	1151	182	40	7280	1207	1401	194	40	7760	93.81

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा स्मार्ट मीटर संख्या 8103164 के माध्यम से दिनॉक 04/09/2025 से दिनॉक 01/03/2026 तक की अवधि में, केडब्लूएच0 तथा केवीएएच के सापेक्ष, दर्ज विद्युत खपत के आधार पर आकलित, औसत पावर फैक्टर सही प्रतीत होते हैं। एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनॉक 04/09/2025 से दिनांक 01/10/2025 तक तथा दिनांक 01/10/2025 से दिनांक 01/11/2025 तक की समयावधि में, केडब्लू0 आधार पर दर्ज अधिकतम भार(एमडी) की तुलना में, केवीए आधार पर, क्रमशः 96.99%_तथा 104.38%_अधिक, अधिकतम भार (एमडी), दर्ज की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान स्मार्ट मीटर संख्या–8103164 पर केडब्लूएच तथा केवीएएच के सापेक्ष, दर्ज विद्युत खपत, के आधार पर आंकलित औसत पावर फैक्टर के अनुसार, विद्युत बिल जारी किये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के परिणामस्वरूप खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/04/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

15/04/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 56/2026 **दिनांक : 15.04.2026**

परिवादी :– श्री गगन अरोड़ा पुत्र श्री जगदीश लाल, प्लाट नं0 15 एवं 16, आर्यनगर, निकट सोंधी नर्सिंग होम, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री गगन अरोड़ा पुत्र श्री जगदीश लाल, प्लाट नं0 15 एवं 16, आर्यनगर, निकट सोंधी नर्सिंग होम, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW20522120944, स्वीकृत भार 07 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि दिनांक 15.04.2025 को उक्त कनैक्शन का बिल रू0 84.00 (–) दर्शाया गया था। परंतु इसके पश्चात् विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2025 को अचानक रू0 67522.00 का बिल निर्गत कर दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 26.06.2025 को पुनः रू0. 46068.00 की राशि का बिल जारी किया गया। उपरोक्त बिल राशियां वास्तविक उपभोग के अनुरूप प्रतीत नहीं होती हैं तथा किसी तकनीकी अथवा लेखा संबंधी त्रुटि के कारण गलत रूप से बनाई गई प्रतीत होती हैं। उनको विभागीय कर्मचारियों द्वारा बार–बार घर पर आकर कनैक्शन विच्छेदन/काटने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे वह अत्यधिक मानसिक तनाव में हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों बिलों की जाँच कराकर आवश्यक संशोधन करवा दिया जाए ताकि वह सही एवं वास्तविक देय राशि का भुगतान समय पर कर सकें तथा अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सके तथा जब तक यह वाद मंच के समक्ष विचाराधीन है तब तक उनका विद्युत कनैक्शन न काटा जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 2025 दिनांकित 09.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रांक 96 दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से संयोजन संख्या JW20522120944 नामे श्री गगन अरोड़ा का विद्युत बिल संशोधन कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था जो कि संशोधन के पश्चात् धनराशि रू0. 176837.00 हो गया है।

विपक्षी विभाग के जवाब के प्रतिउत्तर में परिवादी द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या 96 दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से संयोजन संख्या JW20522120944 नामे श्री गगन अरोड़ा का विद्युत बिल संशोधन किया गया है। संशोधन के उपरांत देय धनराशि रू0. 176837.00 निर्धारित की गई है, जिस पर उनको पूर्ण रूप से आपत्ति है और वह उनकी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। उनका विद्युत कनैक्शन वर्ष 2015 से स्थापित है तथा उनके द्वारा समय–समय पर उनके समस्त विद्युत बिलों का नियमित भुगतान किया जाता रहा है। किंतु वर्ष 2019 से

क्रमशः.....02

विभाग द्वारा मीटर की वास्तविक रीडिंग न लेकर आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किए जाने लगे। जैसे कि माह फरवरी 2019 में उनको 5632 रीडिंग का बिल भेजा गया। माह अप्रैल 2019 में 5632 रीडिंग (एनए) दर्शाते हुए बिल भेजा गया। इसके पश्चात माह जून 2019 से मार्च 2025 तक आरडीएफ में मीटर रीडिंग 5632 ही दर्शाई जाती रही, जबकि प्रत्येक माह अलग–अलग कंज्यूम्ड रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गए, जैसे–1025, 4006, 1288, 1334, 1380 यूनिट आदि। इन सभी बिलों का भुगतान उनके द्वारा समय–समय पर किया जाता रहा है, जिसका रिकॉर्ड विद्युत विभाग के पास भी उपलब्ध है। वर्ष 2025 में जब विभाग द्वारा मीटर परिवर्तित किया गया, तब उनको आरडीएफ में 23629 रीडिंग दर्शाते हुए एक नया बिल भेजा गया, जिसके आधार पर वर्तमान में उन पर रू0 176837.00 की देय राशि दर्शाई गई है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त सभी बिलों का भुगतान किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, इसके पश्चात अगले माह उनको पुनः 5743 रीडिंग का बिल भेज दिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विभागीय अभिलेखों में रीडिंग संबंधी गंभीर त्रुटि है। अतः मंच से अनुरोध है कि विद्युत बिल की पुनः जाँच कर विद्युत बिल में संशोधन किया जाए एवं माह फरवरी 2019 से वर्तमान समय तक की मीटर रीडिंग, बिलिंग विवरण एवं गणना का पूरा विवरण उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और वह नियमानुसार बिल जमा कर सकें।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती शिल्पी सैनी उपस्थित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 7.00 (2.00 किलोवाट) किलोवाट भार पर, दिनांक 07.05.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.02.2026 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, त्रुटिपूर्ण विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, जारी किए गए बिल की धनराशि रू0 176837.00 को गलत होने के कथन के साथ, विवादित ठहराया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–यू216287 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 01.05.2024 को, मीटर संख्या–9544136 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मंच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या–9544136 की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–9544136 के माध्यम से, निम्नानुसार, विद्युत खपत की गई है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				एमडी
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	किलोवाट
01.05.24	01.05.25	12	00	24618	24618	2052	
01.05.25	01.06.25	01	24618	27725	3107	3107	13.76
01.06.25	01.07.25	01	27725	29655	1930	1930	8.58
01.07.25	01.08.25	01	29655	31159	1504	1504	12.72
01.08.25	01.09.25	01	31159	32571	1412	1412	7.80
01.09.25	01.10.25	01	32571	33990	1419	1419	6.92

क्रमशः.....03

01.10.25	01.11.25	01	33990	35001	1011	1011	7.10
01.06.25	***01.11.25***	***05***	***27725***	***35001***	***7276***	***1455***	***12.72***
01.11.25	01.12.25	01	35001	35618	617	617	5.86
01.12.25	01.01.26	01	35618	36354	736	736	6.68
01.01.26	01.02.26	01	36354	37327	973	973	7.10
01.02.26	01.03.26	01	37327	38175	848	848	6.18
01.03.26	01.04.26	01	38175	38960	785	785	7.78
01.11.25	***01.04.26***	***05***	***35001***	***38960***	***3959***	***792***	***7.78***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–9544136 के माध्यम से, दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 01.05.2025 तक, लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 24618 (24618–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में लगभग 2052 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार, परिवादी द्वारा, दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 01.06.2025 तक, एक माह की अवधि में कुल 3107 (27725–24618) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है इसी प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त एक माह की अवधि में, 3107 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 2052 यूनिट प्रति माह की तुलना में, लगभग 51.41 प्रतिशत अधिक है। परिवादी द्वारा उक्त एक माह की अवधि में, अधिकतम विद्युत भार–13.76 किलोवाट का उपभोग, दिनांक 19.05.2025 को किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 01.11.2025 तक, लगभग 05 माह की अवधि में, कुल 7276 (35001–27725) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 05 माह की अवधि में, लगभग 1455 यूनिट की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा उक्त 05 माह की अवधि में अधिकतम विद्युत भार–12.72 किलोवाट का उपभोग किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 01.11.2025 से दिनांक 01.04.2026 तक, 05 माह की अवधि में, कुल 3959 (38960–35001) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 05 माह की अवधि में, लगभग 792 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, उक्त 05 माह की अवधि में अधिकतम विद्युत भार–7.78 किलोवाट का उपभोग, दिनांक 01.03.2026 को किया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, मीटर संख्या–9544136, दिनांक 01.05.2024 को स्थापित किया गया है, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा, लगभग 11.50 माह की समयावधि के पश्चात दिनांक 15.04.2025 को, उक्त मीटर का विवरण, परिवादी के अभिलेखों में दर्ज किया गया है। उक्त अवधि में, बिपक्षी विभाग द्वारा आरडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। जबकि परिवादी के संयोजन पर गतिमान उक्त मीटर संख्या–9544136 पर, लगातार, विद्युत खपत दर्ज होती रही है। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.04.2025 को, मीटर संख्या–9544136 पर दर्ज कुल विद्युत खपत–23629 केडब्लूएच के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या–9544136 पर, समय–समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए जाने के बजाय आरडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड

क्रमशः.....04

विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 96 दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–9544136 के माध्यम से की गई वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, रू0 176837.00 की धनराशि का संशोधित बिल, परिवादी को जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, बिल संशोधन के सापेक्ष प्रस्तुत विवरण से विदित होता है कि माह मई 2024 से माह जनवरी 2026 तक, कुल 21 माह की अवधि में, मीटर संख्या–9544136 पर दर्ज कुल विद्युत खपत–37922 (37922–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी किया गया है जिसमें रू0 40606.00 की धनराशि, विद्युत अधिभार शुल्क के रूप में चार्ज किया गया है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा समय–समय पर, मीटर संख्या–9544136 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादी को जारी नहीं किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त संशोधित बिल में, माह मई 2024 से मार्च 2025 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत का समायोजन नहीं दिया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिल की संशोधित धनराशि रू0 176837.00 में सम्मिलित, वर्तमान बिल की धनराशि के सापेक्ष आरोपित विलंब अधिभार शुल्क को समाप्त करते हुए, तथा माह मई 2024 से मार्च 2025 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष आरोपित की गई विद्युत खपत का समायोजन प्रदान करते हुए, पुनः संशोधित बिल परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह जारी बिल की संशोधित धनराशि रू0 176837.00 में सम्मिलित, वर्तमान बिल की धनराशि के सापेक्ष आरोपित विलंब अधिभार शुल्क को समाप्त करते हुए, तथा माह मई 2024 से मार्च 2025 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष आरोपित की गई विद्युत खपत का समायोजन प्रदान करते हुए, पुनः संशोधित बिल परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	15/04/2026	15/04/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),</u>

ORDER SHEET

Case No. ...57.../2026

......Shrimati Sarita Rani...... **V/S** **EE, EDD,** ..Jwalapur, Haridwar..

Signature	Date	Order	Next Date
[signature] 17/3/2026 AE(J)	17/3/26	विपक्षी की ओर से लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ~~सुनवाई~~ हेतु दिनांक 7/4/26 नियत की जाती है। [signature] [signature] [signature]	
[signature] 07/04/2026 AE(J)	7/4/26	उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इस परिवाद का निस्तारण किया जा रहा है। **आदेश** विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] [signature] [signature]	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 66/2026 **दिनांक : 07.04.2026**

परिवादी :– श्री संजय कुमार पुरी, सी.एफ.एम. फैसिलिटी प्रा0 लि0/डेकोर बाइटस, गायत्रीलोक अपार्टमेंट, कनखल, बाईपास रोड़, एनएच–58, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री संजय कुमार पुरी, सी.एफ.एम. फैसिलिटी प्रा0 लि0/डेकोर लाइट्स, गायत्रीलोक अपार्टमेंट, कनखल, बाईपास रोड़, एनएच–58, जिला–हरिद्वार द्वारा कथन किया है कि वह सी.एफ.एम. कंपनी ने गायत्रीलोक अपार्टमेंट में कार्यदायी संस्था के रूप में अनुबंध के आधार पर डेकॉर लाइट्स कंपनी को मैटेनेंस का कार्य दिया है। इधर लगभग एक वर्ष से यहाँ निवासरत फ्लैट्स मालिक विद्युत भुगतान व मैटेनेंस बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और फर्जी शिकायतों एवं मुकदमेबाजी में संलिप्त हैं। परिणामस्वरूप कंपनी विद्युत विभाग के भुगतान किस्तों में कर रही है जिसके लिए वह बिलजी विभाग के व्यक्तिगत आभारी हैं। माननीय मंच द्वारा उपभोक्ता वाद संख्या–286/2025, श्रीमती रिचा गौड़ बनाम अधिशासी अभियंता में दिनांक 13.01.2026 को, परिवादी (श्रीमती रिचा गौड़) को नया विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराये, का आदेश पारित किया था। यदि फ्लैट्स मालिकों द्वारा उपयोग किये गए संसाधनों का अपने हित में जो लाभ उनकी कंपनी द्वारा लिया जा रहा है उसके बदले किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं जो सरासर अमानवीय कृत्य है यहाँ मंच को विचार करना होगा कि वह विद्युत विभाग का भुगतान कैसे करें? जहाँ उनका फ्लैट्स मालिकों पर करोडो रूपयों का बकाया है। ऐसे में अगर विद्युत विभाग फ्लैट्स मालिकों व्यक्तिगत नए बिजली कनैक्शन दे रहे है, हो सकता है कि आपके लिए जनहित में यह कार्य उत्तम हो परंतु यह उनकी कंपनी कि नियमों का उल्लघंन है और आपके द्वारा नए कनैक्शन देने के बाद उनके बिलों की बकाया राशि मिलने की संभावना कम है क्योंकि यह कार्य कुछ फ्लैट्स मालिकों द्वारा षड़यंत्र के अंतर्गत कराया जा रहा है। बिजली विभाग को जानकारी छिपाकर नए कनैक्शन के लिए आवेदन करके एवं अनावश्यक दबाब बनाकर विवश किया जा रहा है जबकि यह मामला (बिजली एवं मेंटेनेंस बिल भुगतान) माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में यूपीसीएल को भी पक्षकार बनाने का आवेदन दिया गया है बिजली विभाग ने हमारे गायत्रीलोक अपार्टमेंट में बिजली के खंभे एवं केवल लगा दी है बिना कंपनी से किसी प्रकार के संचार के जो कि न सिर्फ

क्रमशः.....02

अपार्टमेंट के सुरक्षा एवं मापदंडों के विरूद्ध है बल्कि परिसर के निजता का हनन भी है, यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा दबाव में यह कार्य करवाया गया है। अपार्टमेंट में यहाँ वहाँ खंभे एवं केवल से सुरक्षा का भी खतरा है एवं अधिकतर फ्लैट्स मालिक इससे चिंतित है। क्योंकि गायत्रीलोक के निवासियों द्वारा नए विद्युत कनैक्शन के लिए आवेदन किया जा रहा है वह पूर्व से ही विद्युत विभाग के बकायेदार है क्यूंकि इन ही व्यक्तियों द्वारा गायत्रीलोक कंपनी द्वारा लिए गए विद्युत कनैक्शन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि बिजली विभाग अपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की कारवाई को रोके एवं बिना कंपनी कि सहमति के किसी को नए कनैक्शन न प्रदान करें।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4652 दिनांकित 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायत वाद संख्या—66 / 2026 वादी श्री संजय कुमार पुरी, सी0एफ0एम0 फेसिलिटी प्रा0लि0 / डेकोर लाईट्स, गायत्री लोक अपार्टमेंट, कनखल, हद्विार से सम्बन्धित परिसर पर पूर्व में आपके समक्ष प्रस्तुत शिकायत वाद संख्या—286 / 2025 श्रीमती रिचा गौड़, फ्लेट नं0 0007, गायत्री लोक अपार्टमेंट, कनखल, हरिद्वार में मंच द्वारा दिनांक 13.01.2026 को विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वादी को प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन आदेश दिनांक 13.01.2026 के अनुपालन में निर्गत किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री संजय कुमार पुरी तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वेद प्रकाश गैरोला उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 100.00 किलोवाट विद्युत भार पर, एकल बिंदु थोक आपूर्ति विधा के अंतर्गत, दिनांक 03.11.2000 से गतिमान है। परिवादी के कथनानुसार, प्रश्नगत परिसर में स्थित कुछ फ्लैट मालिकों द्वारा, व्यक्तिगत विद्युत संयोजन प्राप्त किए जाने हेतु, विपक्षी विभाग को आवेदन प्रेषित किए जा रहे हैं जबकि फ्लैट मालिकों के द्वारा; प्रश्नगत परिसर पर गतिमान एकल बिंदु थोक आपूर्ति विद्युत संयोजन संख्या—690के000005108 के माध्यम से, खपत की गई विद्युत के सापेक्ष विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय—3.5 (1) के अनुसार "एकल बिंदु थोक आपूर्ति संयोजन की अनुमति केवल 75 किलोवाट / 88 केवीए से उपर एकल बिंदु मीटरिंग के साथ अनुबंधित भार के लिए अंतिम उपभोगकर्ता तक आगे वितरण के लिए दी जाएगी। परंतु ऐसे उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत संयोजन के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया जाएगा। जिस व्यक्ति ने एकल बिंदु आपूर्ति ली है, वह अनुज्ञापी को सभी विद्युत प्रभारों के भुगतान तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं / उपभोक्ताओं से उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित प्रशुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा। अनुज्ञापी सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा जारी एकल बिंदु थोक आपूर्ति (एस.पी.बी.एस.) संयोजन के लिए प्रभारी टैरिफ आदेश से अधिक शुल्क अंतिम उपयोगकर्ता / उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा।"

उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय—3.5 (2) के अनुसार, "जिस व्यक्ति ने एकल बिंदु आपूर्ति ली है, उसे उस परिसर के लिए विद्युत वितरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा—14 के सातवें परन्तुक के तहत अनुज्ञापी का एजेंट माना जाएगा तथा वितरण अनुज्ञापी अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के ऐसे सभी प्राविधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा जो इस तरह के क्षेत्र के लिए प्रभावी है।"

क्रमशः......03

परिवादी के कथनानुसार, प्रश्नगत परिसर में स्थित फ्लैट स्वामियों के द्वारा एकल बिंदु थोक आपूर्ति संयोजन संख्या—690के000005108 के माध्यम से की गई विद्युत खपत के सापेक्ष जारी बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों के भुगतान किए जाने में कठिनाईयां हो रही हैं। विद्युत बिलों के बकायादारों द्वारा व्यक्तिगत संयोजन हेतु विपक्षी विभाग में आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा कुछ फ्लैट स्वामियों को विपक्षी विभाग द्वारा व्यक्तिगत संयोजन निर्गत किए गए हैं।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष General Secretary, Panache Residents Welfare Association Near Kirsali Chowk, Sahastradhara Road, Dehradun द्वारा दायर Petition के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा निर्गत आदेश संख्या—04 / 2024 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय—3.6 (6) के अंतर्गत Electricity (Rights to Consumers) Amendment Rules, 2024 के Rule 14, (except Rule 14(d)) को अंगीकार किया गया है।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में विपक्षी विभाग को उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय—3.6(6) को, निम्न तथ्यों के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है:

(a) The distribution licensee shall provide either a single point connection for the Association or individual connections for each and every owner, on the basis of choice of the majority of the house or flat owners in such Association and the choice shall be ascertained by means of a transparent ballot to be held by the distribution licensee; Provided that if more than fifty percent of the owners prefer individual connection then individual connection shall be given to each owner.

(b) the metering, billing, and collection shall be done separately for (i) (ii) (iii) individual electricity consumption sourced from the distribution licensee; individual consumption of back up power supplied by the Association; and electricity consumption for common area of such Association sourced from the distribution licensee.

(c) In the case of a single point connection, the Association shall be responsible for metering, billing, and collection and for individual connections, these responsibilities shall vest with the distribution licensee.

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत एकल बिंदु थोक आपूर्ति संयोजन संख्या—690के000005108 के सापेक्ष जारी विद्युत बिलों के भुगतान के लिए परिवादी जिम्मेदार है। परिवादी के प्रश्नगत परिसर में स्थित फ्लैट स्वामियों को व्यक्तिगत विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय—3.6(6) के अंतर्गत, Electricity (Rights to Consumers) Amendment Rules, 2024 के Rule 14, (except Rule 14(d)) के अंगीकृत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः.....04

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के प्रश्नगत परिसर में स्थित फ्लैट स्वामियों को व्यक्तिगत विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय–3.6(6) के अंतर्गत, Electricity (Rights to Consumers) Amendment Rules, 2024 के Rule 14, (except Rule 14(d)) के अंगीकृत प्राविधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

ORDER SHEET

Case No. 68/2026

Shri Gita Gupta V/S EE, EDD, Urban Haridwar

Signature	Date	Order	Next Date
सागर गुप्ता	31/3/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की ओर से स्थगन प्रस्तुत होकर स्वीकृत दिनांक 7/4/26 नियत की जाती है। पुनश्च: परिवादी की ओर से कोई उपस्थित ... परिवादी और विपक्षी को सूचित हो। पत्रावली ... को पेश हो। नियत दिनांक 7/4/26	
Garg PRIYANKA AGARWAL AE(R) सागर गुप्ता	7/4/26	उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी के प्रतिनिधि उपस्थित। तर्क सुने गए। विपक्षी द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। निस्तारित किया जाता है। आदेश हेतु पत्रावली फोरम के समक्ष पेश हो। __आदेश__ विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

ORDER SHEET

Case No. 69**/2026**

Sh. Sameed Ahmed **V/S** **EE, EDD,** Bhagwanpur

Signature	Date	Order	Next Date
	07/4/26	परिवादी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख किया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा मेरा बिल संशोधित कर सही कर दिया गया है और अब मेरा कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। परिवादी विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट है। परिवाद निस्तारित किया जाता है। **आदेश** विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signatures]	

ORDER SHEET

Case No. ...73...../2026

Sh: Lakshmichand..................... **V/S** **EE, EDD,** ..Jwalapur, Haridwar..

Signature	Date	Order	Next Date
	07.04.2026	<u>आदेश</u> विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।।	

ORDER SHEET

Case No. ..77..../2026

Sh. Hitendra Kr. Sharma........ V/S EE, EDD, Roorkee? Haridwar..

Signature	Date	Order	Next Date
[illegible] DA(R)	21/4/26	परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी के प्रतिनिधि उपस्थित। नये संयोजन के सापेक्ष डिमांड चार्ज 28/3/26 को जारी किया गया, जबकि जनवरी 2026 में आवेदन किया गया है। विपक्षी विलंब का कारण स्पष्ट करें। पत्रावली दिनांक 28/4/26 को पेश हो।	
	28/04/2026	परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी/विभाग द्वारा, वांछित शुल्क जमा किये जाने हेतु, दिनांक 28/04/2026 को सूचित/डिमांड जारी किया गया है। परिवादी द्वारा वांछित शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त, नियमानुसार निर्धारित समयावधि में विद्युत संयोजन विभाग द्वारा निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।	
[illegible] AE(R) S.K. Gautam		पुनश्च: परिवादी से दूरभाष पर संपर्क किया गया, परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा आवेदित संयोजन को लेने का इच्छुक नहीं है अतः विभाग प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाय। आदेश हेतु पत्रावली पेश की जाये।	
		आदेश परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 78/2026 **दिनांक : 21.04.2026**

परिवादी :– श्री संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम चंद्र, 26 सिविल लाईन, हाईडिल कालोनी, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम चंद्र, 26 सिविल लाईन, हाईडिल कालोनी, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6810161154254, स्वीकृत भार 04 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका विद्युत बिल अत्यधिक दर्शाया जा रहा है जबकि पूर्व की खपतों के अनुरूप माह 05/2019 में दो माह की खपत 30800.00 (तीस हजार आठ सौ यूनिट) एवं माह 09/2023 में दो माह की विद्युत खपत 33870.00 (तीस हजार आठ सौ सत्तर यूनिट) दर्शायी गई है। जो कि वास्तव में असामान्य है। पूर्व में विद्युत बीजक को संशोधित कराने हेतु कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया जा चुका है परंतु विभाग के द्वारा उनका विद्युत बिल संशोधित नहीं किया गया साथ ही उनका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर मीटर उतार दिया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल को संशोधित कराने एवं विद्युत मापक पुनः स्थापित करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 27 दिनांकित 06.04.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री संजीव कुमार घाघट संयोजन सं0 6810161154254 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में अभिलेखों एवं बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. उपभोक्ता के परिसर से दिनांक 26.05.2025 को मीटर सं0 689647 कुल केडब्लूएच रीडिंग 124155 पर उतारा गया तथा मीटर सं0 जीयू510045 स्थापित किया गया।
2. उपभोक्ता के परिसर पर माह 09/2025 में मीटर सं0 जीयू510045 कुल केडब्लूएच रीडिंग 4450 पर उतारा गया तथा स्मार्ट मीटर सं0 5765781 स्थापित किया गया जिसमें दिनांक 24.02.2026 तक कुल रीडिंग 1708 है।

क्रमशः.....02

3. खण्ड कार्यालय द्वारा बिलिंग सारणी का अवलोकन किया गया तथा परिसर पर स्थापित मीटर सं0 689647 की बिलिंग सारणी से 24.11.2019 से 06.09.2020 (287 दिन) तक की रीडिंग का अंतर (60294—55419=4875) (17 यूनिट प्रतिदिन) लिया गया।
4. खण्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 24.11.2019 से 31.03.2020 तक कुल 129 दिन के लिये 17 यूनिट प्रतिदिन के आधार पर कुल 2191 यूनिट निकाली गई तथा दिनांक 24.11.2019 तक की कुल रीडिंग में जोड़कर दिनांक 31.03.2020 के लिये कुल रीडिंग (55419+2191=57640) बनाई गई।
5. पुराना मीटर सं0 689647 में दिनांक 26.05.2025 तक कुल रीडिंग का अंतर (124155—57610)=66545 यूनिट, मीटर सं0 जीयू510045 में दिनांक 26.05.2025 को कुल रीडिंग 4450 तथा स्मार्ट मीटर में कुल रीडिंग 1708 अर्थात (66545+4450+1708)=72703 जिसकी बिलिंग की जानी थी।
6. उपभोक्ता का संयोजन विभागीय होने के कारण कैपिंग यूनिट दिनांक 01.04.2020 से 24.02.2026 तक कुल कैपिंग यूनिट 38377 घटाकर अर्थात (72703—38377=34326) यूनिट की बिलिंग की गई है जिसकी कुल धनराशि रू0. 300501.00 (संशोधित विद्युत बीजक की गणना)
7. उपभोक्ता का विद्युत बीजक 12 / 2024 में संशोधित किया गया था जिसमें धनराशि रू0. 128022.00 घटाये गये थे।

क) बिलिंग लेजर के अनुसार माह 02 / 2026 तक की कुल धनराशि रू0.		—	151037.00
ख) 01.04.2020 से 24.02.2026 तक की कुल संशोधित धनराशि रू0.		—	300501.00
	अंतर	—	**149464.00**
ग) माह 12 / 2024 में घटायी गई कुल धनराशि रू0.	(+)	—	128022.00
उपभोक्ता से भुगतान करायी जाने वाली कुल धनराशि		**—**	**277486.00**

मंच के समक्ष परिवादी श्री संजीव कुमार उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 17.08.2014 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.11.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—689647 की शुद्धता जांचे जाने के उद्देश्य से, दिनांक 29.04.2025 को, चैक मीटर संख्या—जीयू510045 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 26.05.2025 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—689647, दोषरहित पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या—689647 को, मीटर पर दर्ज कुल खपत—124155 केडब्लूएच पर, दिनांक 26.05.2025 को उतारा गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, गत वर्षों में, विपक्षी विभाग द्वारा, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:

क्रमशः......03

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
17.08.14	24.09.15	13	00	8501	8501	653
24.09.15	23.07.16	10	8501	10005	1504	150
23.07.16	14.11.17	15.70	10005	14211	4206	268
14.11.17	22.03.19	16.26	14211	*16500*	2289	141
22.03.19	*14.05.19*	*1.73*	*16500*	47300	*30800*	*17803*
14.05.19	17.05.20	12	47300	55419	8119	677
17.05.20	30.12.21	19.43	55419	61117	5698	293
30.12.21	31.05.23	17	61117	*62000*	883	52
31.05.23	*24.09.23*	*3.76*	*62000*	95870	*33870*	*9007*
24.09.23	24.09.24	12	95870	99535	3665	305
24.09.24	30.04.25	7.20	99535	*100898*	1362	189
30.04.25	*26.05.25*	*0.86*	*100898*	*124155*	*23257*	*27043*
17.08.14	*26.05.25*	*129.30*	*00*	*124155*	*124155*	*960*

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा मीटर संख्या—689647 के माध्यम से, दिनांक 17.08.2014 से दिनांक 26.05.2025 तक, लगभग 129.30 माह की अवधि में, कुल 124155 (124155—00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 129.30 माह की अवधि में, लगभग 960 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—689647 पर, समय—समय पर, दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। परिवादी द्वारा, मीटर संख्या—जीय510045 के माध्यम से दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 19.09.2025 तक, लगभग 3.73 माह की अवधि में कुल 4450 (4450—00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 3.73 माह की अवधि में, लगभग 1188 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 960 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रश्नगत मीटर संख्या—689647 पर, दिनांक 26.05.2025 को दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग—124155 केडब्लूएच सही प्रतीत होती है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 27 दिनांक 06.04.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, समय—समय पर गतिमान मीटर संख्या—689647, जी510045 तथा 5765781 पर दर्ज, कुल वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर दिनांक 24.02.2026 तक की अवधि हेतु, रू0 300500.79 की धनराशि विद्युत

क्रमशः.....04

बिल के रूप में आगणित की गई है।

विपक्षी विभाग द्वारा जारी संशोधित बिल के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत के सापेक्ष विद्युत मूल्य आदि के सापेक्ष की गई गणना सही प्रतीत होती है, परंतु विलंब अधिभार शुल्क के रूप में आरोपित की गई धनराशि रू0 92361.72 का पुनः अवलोकन किया जाना न्याय संगत होगा। विपक्षी विभाग द्वारा बिल संशोधन किए जाने की प्रकिया में, पूर्व में चार्ज की गई एलपीएस की धनराशि से अधिक धनराशि, एलपीएस मद में आरोपित किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन में समय—समय पर गतिमान मीटर संख्या—689647, जी510045 तथा 5765781 पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए गए हैं परंतु विपक्षी विभाग द्वारा संशोधित बिल की धनराशि में, विलंब अधिभार शुल्क मद में आरोपित की गई धनराशि, पूर्व में जारी बिलों में चार्ज की गई विलंब अधिभार शुल्क से अधिक न हो, यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के संशोधित बिल की धनराशि में, विलंब अधिभार शुल्क मद में आरोपित की गई धनराशि, पूर्व में जारी बिलों में चार्ज की गई विलंब अधिभार शुल्क से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	21/04/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	21/04/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

ORDER SHEET

Case No. 81/2025

Sh. Anil Kumar V/S EE, EDD, Ramnagar, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
		परिवादी के परिवाद का निस्तारण किया जाता है। ~~आदेश~~ विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 83/2026 दिनांक : 28.04.2026

परिवादी :– मै0 देशाना पोली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, खसरा नं0 340–341, लखेसरी, भगवानपुर, रूड़की जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भगवानपुर।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी देशाना पोली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, खसरा नं0 340–341, लखेसरी, भगवानपुर, रूड़की जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–बी0एच00के000947616 के सन्दर्भ कथन किया है कि जनवरी 2026 व फरवरी 2026 के बिजली बिल अत्यधिक और असामान्य प्रतीत हो रहे हैं। बिल की धनराशि उनकी सामान्य मासिक खपत से लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक है। बिलिंग अवधि के दौरान उनके द्वारा, उपयोग किया गया विद्युत भार तथा खपत का पैटर्न लगभग समान रहा है। कोई अतिरिक्त उपकरण स्थापित नहीं किया गया है जो इस तरह की वृद्धि को उचित ठहरा सके। इसलिए उनको संदेह है कि मीटर रीडिंग, बिलिंग गणना या मीटर की शुद्धता में कोई त्रुटि हो सकती है। उनके द्वारा यूपीसीएल के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है, जिसकी शिकायत सं0 11102260031, दिनांक 11.02.2026 है। बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए उनके द्वारा जनवरी 2026 के लिए बिल की राशि रू0 8040.00, दिनांक 11.02.2026 को, रसीद सं0 13524110226RN000012 के माध्यम से और फरवरी 2026 के लिए रू0 5531.00, दिनांक 05.03.2026 को, रसीद सं0 50 बुक सं0 036039 के माध्यम से आपत्ति के साथ जमा कर दी है। मंच से अनुरोध है कि उनके बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 1890 दिनांकित 08.04.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 BH0K000947616 दिनांक 22.05.2025 से औद्योगिक विद्या में ऊजीकृत है जिसकी पुष्टि उपभोक्ता के बिल विवरण से भी होती है। उपभोक्ता द्वारा अपने प्रश्नगत विद्युत संयोजन सं0 BH0K000947616 के सापेक्ष माह 01/2026 एवं माह 02/20226 हेतु जारी त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। उपभोक्ता द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माह 01/2026 के विद्युत बीजक धनराशि रू0 8040.00, दिनांक 11.02.2026 को, अंडर प्रोटेस्ट जमा करा दिया गया। उपभोक्ता द्वारा रसीद सं0 I0380/22 दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से चैक मीटर फीस जमा कराते हुए प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक सं0 G7905360 पर चैक मीटर स्थापित कर विद्युत खपत का सत्यापन किये

क्रमशः.....02

जाने हेतु अनुरोध किया गया। उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र के क्रम में इस खण्ड कार्यालय पत्रांक 1084 दिनांक 28.02.2026 के माध्यम से विद्युत परीक्षण खण्ड, रूड़की को प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर का परीक्षण कराने हेतु अनुरोध किया गया। इस खण्ड कार्यालय पत्रांक 1084 दिनांक 28.02.2026 के क्रम में विद्युत परीक्षण खण्ड, रूड़की द्वारा उपभोक्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 07.03.2026 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मेन मापक सं0 G7905360 के सापेक्ष सीलिंग रिपोर्ट सं0 105/17 के माध्यम से चैक मीटर सं0 G7906107 स्थापित किया गया तथा दिनांक 06.04.2026 को जारी सीलिंग रिपार्ट सं0—105/23 के अनुसार परिवादी का मेन मीटर 0.60 प्रतिशत तेज पाया गया जो कि निर्धारित मानकों के अंतर्गत है। उपभोक्ता द्वारा माह 02/2026 के विद्युत बीजक धनराशि रू0 5531.00 का दिनांक 24.03.2026 को भुगतान कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि हेमंत कौशिक तथा विपक्षी की ओर से श्री अंजीव कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 22.05.2025 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.03.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 10.02.2026 तथा दिनांक 02.03.2026 को जारी बिलों में दर्शायी गई धनराशि रू0 8040.00 तथा रू0 5531.00, पूर्व में जारी, बिलों की तुलना में, 2 से 2.5 गुना अधिक होने के कथन के साथ, विवादित ठहराया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, गत 6 माह में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं तथा परिवादी द्वारा, निम्नानुसार, अधिक विद्युत भार का उपयोग किया गया है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				अधिकतम
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	विद्युत भार MD (kW)
17.09.25	14.10.25	0.90	1806	2259	453	503	1.17
14.10.25	07.11.25	0.76	2259	2653	399	518	2.26
07.11.25	13.12.25	1.20	2653	3094	441	368	3.03
13.12.25	08.01.26	0.83	3094	3625	531	640	3.13
17.09.25	***08.01.26***	***3.70***	***1806***	3625	***1819***	***492***	***3.13***
18.01.26	10.02.26	1.06	3625	4713	1088	1026	4.45
10.02.26	02.03.26	0.73	4713	***5447***	734	1005	2.00
08.01.26	***02.03.26***	***1.80***	***2625***	***5447***	***1822***	***1012***	***4.45***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 17.09.2025 से दिनांक 08.01.2026 तक, लगभग 3.70 माह की अवधि में, कुल 1819 (2625—1806) यूनिट की विद्युत खपत की गई है इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 3.70 माह की अवधि में, लगभग 492 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार, परिवादी द्वारा, दिनांक 08.01.2026 से दिनांक

क्रमशः.....03

02.03.2026 तक, लगभग 1.80 माह की अवधि में, कुल 1822 (5447—3625) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 1.80 माह की अवधि में, लगभग 1012 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 492 यूनिट प्रति माह की तुलना में, लगभग 105.69 प्रतिशत अधि है। बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 08.01.2026 से दिनांक 10.02.2026 (माह जनवरी) में अधिकतम विद्युत भार—4.46 किलोवाट का उपभोग किया गया है।

इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—जी7905360 की शुद्धता जांचे जाने के उद्देश्य से परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, चैक मीटर संख्या—जी7906107, दिनांक 07.03.2026 को, स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 06.04.2026 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार मीटर संख्या—जी7905360 दोषरहित पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—जी7905360 में दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	28/04/2026	28/04/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 85/2026 दिनांक : 07.04.2026

परिवादी :– श्री संजय कुमार कश्यप पुत्र श्री प्रेम सिंह कश्यप, मां चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य – श्री संजय कुमार कश्यप पुत्र श्री प्रेम सिंह कश्यप, मां चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323059083 के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 6 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनकी एक दुकान मां चण्डी देवी मंदिर पर स्थित है। उनके उक्त विद्युत कनेक्शन को किसी विवाद के कारण काट दिया गया था। अतः मंच से अनुरोध है कि जिस तरह से मंच ने और दुकानदारों के पक्ष में निर्णय पारित कर उनके विद्युत कनेक्शन जुड़वाए है उनका भी कनेक्शन जुडवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब – विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागत सं0 8 ता 9 पत्र संख्या 5134 दिनांकित 23.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्री संजय कुमार कश्यप पुत्र श्री प्रेम सिंह कश्यप, माँ चण्डी देवी मंदिर, हरिद्वार के संदर्भ में मंच को अवगत कराना है कि उपरोक्त वादी के विद्युत संयोजन संख्या–6961323059083 को प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार को उनके कार्यालय पत्रांक–798,/29–1, दिनांक–11.08.2025 के अनुपालन में विच्छेदित किया गया था। वादी द्वारा वन प्रभागीय भूमि पर उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित किये जाने हेतु प्रभागीय वन प्रभाग से अनुमति तथा विद्युत बकाया धनराशि भुगतान के पश्चात ही उपरोक्त विद्युत संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जाएगा।

–:विचारणः–

उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है?

1. पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन सं0–6961323059083 श्री संजय कुमार कश्यप पुत्र श्री प्रेम सिंह कश्यप, मां चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार के नाम पर संयोजित रहा है जोकि 2001 मे संस्थापित किया गया गया था। प्रश्नगत कनेक्शन की बाबत बकाया होने का विभाग द्वारा कथन किया गया है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने बिना किसी कारण के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब मे कथन किया है कि वन विभाग के पत्रांक संख्या 798/29–1 हरिद्वार दिनांकित – 11.08.2025 की प्रति सलग्न कर लिखा है कि विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है। साथ ही कथन किया है कि परिवादी द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं बकाया बिल धनराशी का भुगतान करने पर संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा। संलग्न पत्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पत्र वन विभाग द्वारा महन्त भवानी नन्दन के नाम पर लिखा गया है जिसमें लीज वन विभाग द्वारा निरस्त नही की गई है। पत्र की प्रति विपक्षी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। जिस पर विपक्षी विभाग को विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विधिक राय प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय लेना चाहिए था।
2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपुर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। परिवादी द्वारा किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन भी नही किया गया है। परन्तु विभाग का परिवादी पर विद्युत का बकाया चला आता है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नही किया गया है। अर्थात विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त

करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।

4. यहकि परिवादी के कब्जे वाली दूकान सम्पत्ति मे परिवादी के अधिकारो की मान्यता लीज के प्रभावी होने के कारण वैध चली आती है। परिवादी द्वारा किसी कानून का निरादर नही किया गया है। जब तक लीज प्रभावी है तब तक परिवादी को बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओ से वंचित नही किया जा सकता है।
5. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा सलग्न पत्र मे प्रयोग भाषा के आधार पर भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधिक प्रावधानो के विरुद्व है। विभाग द्वारा बिना किसी विधिसम्वंत अधिकार व आधार के प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित नही करना चाहिए था, परन्तु विद्युत का बकाया होने की स्थिति में परिवादी का विद्युत कनेक्शन अस्थाईरुप से विच्छेदित करने एवं नियमानुसार स्थाई विच्छेदित करने का अधिकार विपक्षी को प्राप्त है।
6. यहकि परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर विद्युत कनेक्शन को परिवादी द्वारा विद्युत बकाया का भुगतान अदा करने पर पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय मे न्याय संगत है। तद्नुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं0–6961323059083 को परिवादी से विद्युत बकाया का भुगतान प्राप्त कर पुनः संयोजित करते हुए विद्युत संचालित करे। परिवादी विद्युत बकाया का भुगतान अविलम्ब अदा करे। आदेश अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

07/04/2026

(विजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 87/2026 दिनांक : 15.04.2026

परिवादी :– श्री विरेंद्र कुमार चड्ढा पुत्र स्व0 श्री राजकुमार चड्ढा, होटल रजत रेंजीडेंसी, बिरला रोड़, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विरेंद्र कुमार चड्ढा पुत्र स्व0 श्री राजकुमार चड्ढा, होटल रजत रेंजीडेंसी, बिरला रोड़, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–690के000016105, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका निवास बिल्केश्वर कॉलोनी हरिद्वार में है तथा वह होटल का व्यवसाय करते हैं उनका एक होटल, रजत रेजीडेंसी के नाम से, बिरला रोड़ पर स्थित है। उनके द्वारा, माह अगस्त 2025 तक, समयानुसार प्राप्त माहवार बिल, समयानुसार ही भुगतान होते रहे हैं। माह सितंबर 2025 में, जब मीटर रीडर, रीडिंग लेने आया, तो उसने बताया कि मीटर संख्या 31798 में डिस्प्ले नहीं आ रही है। मीटर रीडर की ड्यूटी थी कि वह विभाग को मीटर खराब होने की सूचना देते। लेकिन अंततः स्वयं द्वारा, पोर्टल पर मीटर खराब होने की शिकायत संख्या–22509250344 दिनांकित 25 सितम्बर 2025, विभाग को दी गयी। इसके बाद 31.08.2025 से 30.09.2025 का बिल, विभाग द्वारा, आईडीएफ का दिया गया। इसके बाद 30.09.2025 से 31.10.2025 का बिल भी, विभाग द्वारा, आईडीएफ का दिया गया। बार–बार विभाग को सूचित करने, अनुरोध करने के पश्चात, दिनांक 30.11.2025 को, नया मीटर संख्या–5526918 स्थापित किया गया। जबकि विभाग को सूचित करने के बाद 10–15 दिन में, विभाग द्वारा नया मीटर स्थापित किया जाना चाहिए था लेकिन लगभग तीन माह के बाद नया मीटर स्थापित किया गया। मीटर अवस्थापना के बाद 31.10.2025 से 30.11.2025 का बिल अंदाजे से मीटर यूनिट का दिया गया, जबकि इस बिल पर भी आईडीएफ ही होना चाहिए था क्यूंकि मीटर की अवस्थापना 30.11.2025 को ही हुई थी तथा इसके सापेक्ष रू0. 65000.00 जमा किये गए। मीटर अवस्थापना के बाद के बिल 30.11.2025 से 31.12.2025, 31.12.2025 से 31.01.2026 तथा 31.01.2026 से 28.02.2026 तक के बिल प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा एवरेज का बिल गत तीन माह का लिया गया जबकि वास्तविकता यह है कि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है जहां पर मई–जून एवं जुलाई माह में यात्रा के कारण अत्यधिक भीड़ रहती है तथा यात्री अधिकता के कारण बिजली की खपत भी वर्ष के अन्य माह के अनुपात में सर्वाधिक रहती है तथा इसके उलट माह

क्रमशः.....02

सितम्बर से यात्री सीजन समाप्त होने के बाद बिजली की खपत अपने मध्यम–न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। उपरोक्त कथन की सच्चाई की जानकारी, उनके गत दो–तीन वर्षों के सम्बंधित माह के बिलों से ले सकते हैं जो कि विभाग के अकाउंट सेक्शन में उपलब्ध हैं। उपरोक्त कारणों से उपभोक्ता को अनुचित रूप से परेशान होना पड़ रहा है एवं विभाग द्वारा पूरी मूल्य राशि का भुगतान करने का दवाब डाला जा रहा है तथा ना जमा करने पर कनैक्शन काटने की धमकी दी जा रही है जबकि उपभोक्ता का समय पर भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसका, विभाग अपने एकाउंट्स सेक्शन से, मिलान कर सकते हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको बिल में छूट दी जाये जिससे उपभोक्ता समय पर बिल का पूर्ण भुगतान कर सके।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 5109 दिनांकित 20.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या–690के000016105 पर, पूर्व स्थापित मीटर सं0–31798 नो डिसप्ले चला आ रहा था। जिसको दिनांक 30.11.2025 को मीटर सं0–5526918 से परिवर्तित कर दिया गया है। माह 09/2025, 10/2026 एवं 11/2025 में जारी आईडीएफ विद्युत बीजक पूर्व 03 माह के औसत के अनुसार प्रेषित किये गए हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर के माध्यम से कथन किया गया है कि उक्त वाद में, विभाग को सूचित करने के उपरांत, विभाग द्वारा तीन माह बाद, नया मीटर स्थापित किया गया। विभाग द्वारा तीन माह का आईडीएफ का बिल दिया गया। विभाग के अधिनियम के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को अधिकतम दो माह तक का ही आईडीएफ का बिल दिया जा सकता है। विभाग द्वारा तीसरे माह का जो आइडीएफ का बिल दिया गया वह सरासर गलत तरीके से दिया गया है इसमें विभाग की लापरवाही नजर आती है। तीसरे माह के बिल की धनराशि वापसी योग्य है। विभाग द्वारा मीटर एक माह देरी से लगाया जाना अनुचित है तथा अनुचित रूप से देरी पर भी विभाग की नियमावली के अनुसार विभाग के ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त कारणों से उपभोक्ता को अनुचित रूप से परेशान होना पड़ रहा है एवं विभाग द्वारा पूरी मूल्य राशि का भुगतान करने का दवाब डाला जा रहा है तथा ना जमा करने पर कनैक्शन काटने की धमकी दी जा रही है जबकि उपभोक्ता का समय पर भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसका मिलान, विभाग अपने एकांउट्स सेक्शन से कर सकता है। अतः मंच से अनुरोध है कि शिकायकर्ता के हित में विभाग को उचित आदेश देकर शिकायकर्ता को तीसरे आइडीएफ बिल की धनराशि एवं मानसिक उत्पीड़न के लिए उचित मुआवजा दिलवाया जाए।

मंच के समक्ष परिवादी श्री विरेंद्र चड्ढा एवं विपक्षी के ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 30.09.2005 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.09.2025 तक, एमयू आधार पर, दिनांक 14.10.2025 तथा दिनांक 12.11.2025 को आईडीएफ आधार पर, दिनॉक 17/12/2025 को एमसी आधार पर तथा दिनॉक 13/01/2026 से दिनॉक 02/03/2026 तक एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किये गये हैं।

क्रमशः.....03

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा, गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज की गयी है:

2022–23			2023–24			2024–25			2025–26		
अवधि		विद्युत खपत	अवधि		विद्युत खपत	अवधि		विद्युत खपत	अवधि		विद्युत खपत
03.06.22	02.07.22	8220	03.06.23	14.07.23	7820	07.06.24	05.07.24	8940	04.06.25	08.07.25	6340
02.07.22	03.08.22	6500	14.07.23	04.08.23	4860	05.07.24	06.08.24	4960	08.07.25	07.08.25	4040
03.08.22	05.09.22	4040	04.08.23	06.09.23	3920	06.08.24	04.09.24	3100	07.08.25	11.09.25	1520
05.09.22	03.10.22	3700	06.09.23	18.10.23	4260	04.09.24	05.10.24	2520	11.09.25	14.10.25	3967
03.10.22	05.11..22	2500	18.10.23	07.11.23	2240	05.10.24	06.11.24	1820	14.10.25	12.11.25	3967
05.11..22	03.12.22	1080	07.11.23	07.12.23	1100	06.11.24	04.12.24	1060	12.11.25	17.12.25	3967+6
03.12.22	04.01.23	1120	07.12.23	04.01.24	1140	04.12.24	07.01.25	740	17.12.25	03.01.26	1076
04.01.23	07.02.23	900	04.01.24	07.02.24	660	07.01.25	07.02.25	780	03.01.26	04.02.26	662
07.02.23	13.03.23	820	07.02.24	02.03.24	780	07.02.25	06.03.25	720	04.02.26	02.03.26	672

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, प्रत्येक वर्ष माह जून, जुलाई तथा अगस्त की तुलना में, माह सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर में कम विद्युत की खपत दर्ज की गयी है तथा परिवादी द्वारा गत वर्षों में दर्ज की गयी विद्युत खपत का पैटर्न, लगभग समान है। परिवादी द्वारा, वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 के माह सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर में, निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज की गयी है तथा विपक्षी विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 हेतु, निम्नानुसार, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है:

विद्युत खपत(यूनिट) का विवरण					वर्ष 2025–26 हेतु, आईडीएफ के सापेक्ष निर्धारित विद्युत(यूनिट)
माह	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	औसत	
सितम्बर	3700	4260	2520	**3493**	**3967**
अक्तूबर	2500	2240	1820	**2187**	**3967**
नवम्बर	1080	1100	1060	**1080**	**3967**

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, गत तीन वर्षों में, माह सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर में क्रमशः 3493, 2187 तथा 1080 यूनिट की औसत दर से विद्युत खपत की गई है जबकि वर्ष 2025–26 के माह सितंबर से माह नवंबर–2025 तक की अवधि हेतु, 3967 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, आईडीएफ आधार पर, अंतरिम बिल परिवादी को जारी किए गए हैं, जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 17.12.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 17.12.2025 तक की अवधि हेतु, वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 के समान अवधि (माह सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर) में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज, माहवार औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः.....04

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 17.12.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 17.12.2025 तक की अवधि हेतु, वर्ष 2022—23, 2023—24 तथा 2024—25 के समान अवधि (माह सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर) में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज, माहवार औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

15/04/2026
(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

15/04/2026
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 97 / 2026 दिनांकः 28.04.2026

परिवादी :– श्री महावीर प्रसाद बर्तवाल पुत्र श्री जया नंद, पदमपुर सुखरो, तड़ियाल स्टोर, कोटद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री महावीर प्रसाद बर्तवाल पुत्र श्री जया नंद, पदमपुर सुखरो, तड़ियाल स्टोर, कोटद्वार के द्वारा (1 ता 10) विद्युत संयोजन संख्या–केटी21582135112 स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ कथन किया है कि उन्होने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए आवेदन किया था और फरवरी 2025 में सोलर पैनल लगवाया था। विक्रेता आसना ऊर्जा प्रा0लि0(मुख्यालय, देहरादून) थे। समय पर सभी राशि और दस्तावेज जमा करने के बावजूद, मुझे अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है, जिसके लिए उन्होने उपभोक्ता फोरम शिकायत पत्र संख्या 8878426 दिनांक 13.03.2026 में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त शिकायत का जल्द समाधान करवा दिया जाए, जिससे कि उन्हे सरकारी सब्सिडी की राशि प्राप्त हो सके।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 849 दिनांकित 31.03.2026 के माध्यम से (12 ता 13) कथन किया गया है कि उपरोक्त शिकायतकर्ता की सौर सोलर ऊर्जा की सब्सिडी सोलर के पोर्टल के अनुसार वर्तमान में उपभोक्ता के पास ही लंबित है जिसको उपभोक्ता के द्वारा ही अग्रसारित किया जाना है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सब्सिडी के सम्बंधित कार्य आर0ई0सी0 विभाग के द्वारा किया जाना है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड आधिकारी श्री कमल सिंह उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी ने विद्युत संयोजन संख्या–केटी21582135112 पर सोलर पेनल संयत्र पी.एम. सूर्याघर योजना मे लगवाया है जिस पर मिलने वाली सबसीडी का भुगतान प्राप्त न होने के विरुद्व शिकायत प्रस्तुत की गई है। मंच की राय मे सब्सिडी का भुगतान प्राप्त न होने के विरुद्व शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार इस मंच को प्राप्त नही है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य मंच के क्षेत्राधिकार में विचारणीय न होने के कारण परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	24/04/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	28/04/2026 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

ORDER SHEET

Case No. 98/2026

Sh: Ramphal Ram **V/S** **EE, EDD,** Urban Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	21.04.2026	आदेश। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है, तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में प्रेषित हो।	

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 100/2026 दिनांक : 28.04.2026

परिवादी :– श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दिनेश बंसल, ग्राम–चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दिनेश बंसल, ग्राम–चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार ने विद्युत संयोजन संख्या–6961323049275, स्वीकृत भार 02 किलोवाट (1 ता 8) के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनकी एक दुकान संख्या–01, मां चण्डी देवी मंदिर हरिद्वार में सन् 1998 चला आता है तब से आज तक के विद्युत बिल का भुगतान उनके द्वारा किया जाता रहा है। अंतिम बिल उनके द्वारा माह जुलाई 2025 मे जमा किया था। दिनांक 28.08.2025 को उनका विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काट दिया गया था। अब मंच द्वारा आदेश पारित कर चण्डी देवी मंदिर की दुकानों के कनेक्शन सुचारू करा दिये गये है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त विद्युत कनेक्शन को पुनः सुचारू करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के द्वारा पत्र संख्या 164 दिनांकित 13.04.2026 के माध्यम से (10 ता 11) कथन किया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 6961323049275 को प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, हरिद्वार को उनके कार्यालय पत्रांक–798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के अनुपालन मे विच्छेदित किया गया था। वादी द्वारा वन प्रभागीय भूमि पर उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित किया जाने हेतु प्रभागीय वन प्रभाग से अनुमति के पश्चात ही उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा।

–:विचारणः–

उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है?

1. पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन सं0–6961323049275 श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दिनेश बंसल, ग्राम–चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार के नाम पर संयोजित रहा है जोकि दिनांक 24.04.1998 मे संस्थापित किया गया गया था। प्रश्नगत कनेक्शन की बाबत बकाया होने का विभाग द्वारा कोई कथन नही किया गया है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने बिना किसी कारण के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब मे उक्त कथन का खण्डन नही किया है तथा अपने जवाब मे वन विभाग के पत्रांक संख्या 798/29–1 हरिद्वार दिनांकित – 11.08.2025 की प्रति सलग्न कर लिखा है कि विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है। साथ ही कथन किया है कि परिवादी द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा। संलग्न पत्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पत्र वन विभाग द्वारा महन्त भवानी नन्दन के नाम पर लिखा गया है जिसमें लीज वन विभाग द्वारा निरस्त नही की गई है। पत्र की प्रति विपक्षी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। जिस पर विपक्षी विभाग को विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विधिक राय प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय लेना चाहिए था।
2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपुर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। परिवादी द्वारा किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन भी नही किया गया है। न ही विभाग का परिवादी पर कोई बकाया है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नही किया गया है। अर्थात विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।
4. यहकि परिवादी के कब्जे वाली दूकान सम्पत्ति मे परिवादी के अधिकारो की मान्यता लीज के प्रभावी होने के कारण वैध चली आती है। परिवादी द्वारा किसी कानून का निरादर नही किया गया है। जब तक लीज प्रभावी है तब तक परिवादी को बिजली व अन्य आवश्यक सुविधाओ से वंचित नही किया जा सकता है।
5. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा सलग्न पत्र मे प्रयोग भाषा के आधार पर भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधिक प्रावधानो के विरुद्व है। विभाग द्वारा

बिना किसी विधिसम्वंत अधिकार व आधार के प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित नही करना चाहिए। परन्तु विद्युत का बकाया होने की स्थिति में परिवादी का विद्युत कनेक्शन अस्थाईरुप से विच्छेदित करने एवं नियमानुसार स्थाई विच्छेदित करने का अधिकार विपक्षी को प्राप्त है।

6. यहकि परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय मे न्याय संगत है। तद्नुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं0–6961323049275 को पुनः संयोजित करते हुए अविलम्ब विद्युत संचालित करे। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 102/2026

Sh. Nafish **V/S** **Executive Engineer, Rural, Roorkee**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	04.04.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 15.04.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 15.04.2026 को पेश हो।	
	15.04.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का स्थगन प्राप्त, स्वीकार होकर दिनांक 21.04.2026 नियत की जाती है।	
	21.04.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2026 नियत की जाती है।	
Anubhav Saini	28/4/26	परिवादी द्वारा लिखित कथन के माध्यम यह स्पष्ट किया गया है कि यह शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई है उन्हें कोई समस्या / शिकायत नहीं है। परिवादी का यह परिवाद खारिज किया जाता है।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 104/2026

Smt. Rekha **V/S** **Executive Engineer, Laksar, Haridwar**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	06.04.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 15.04.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 15.04.2026 को पेश हो।	
	15.04.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2026 नियत की जाती है।	
रेखा	21/4/26	पत्रावली पेश हुई। परिवादी उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। परिवादी को सुना गया। पत्रावली आदेश हेतु मंच के समक्ष पेश हो।	
Sachin Sachdeva E.O.		आदेश परिवादी की शिकायत में कोई वाद कारण न होने के कारण परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 106/2026

Sh. Sashi Mohan Kukreti **V/S** **Executive Engineer, Kotdwar**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	08.04.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 15.04.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 15.04.2026 को पेश हो।	
	15.04.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित है। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2026 नियत की जाती है।	
(Ravi Arora) SDO/EDSD Kotdwar	21/4/26	पत्रावली पेश है। परिवादी को ओर से मेल द्वारा सूचित किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा कर दिया गया है जिससे परिवादी सन्तुष्ट है। विपक्षी की ओर से उक्त कथन की रिपोर्ट की गई। पत्रावली परिवाद निस्तारण हेतु मंच के समक्ष पेश हो।	
		आदेश विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 304/2025 **दिनांक : 28.04.2026**

परिवादी :– श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री राज सिंह, निवासी–निकट सरस्वती शिशु मंदिर, दादूपुर गोविंदपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री राज सिंह, निवासी–निकट सरस्वती शिशु मंदिर, दादूपुर गोविंदपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000194457, स्वीकृत भार 10 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि दिनांक 01.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके प्रतिष्ठान को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने के आदेश, पी0आई0एल0 संख्या–100/2022 के संबंध में आदेशित किया गया था। जिसके अनुपालन में उन्होंने उनके प्रतिष्ठान पर कार्य संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। जिसके चलते उनके प्रतिष्ठान पर विद्युत उपभोग पूर्णतः बंद हो गया था। उनके प्रतिष्ठान पर कार्य संचालन बंद होने के उपरांत उन्होंने विद्युत विभाग के समक्ष अपने प्रतिष्ठान पर स्थापित उपरोक्त विद्युत संयोजन को विच्छेदित किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2023, को विद्युत विभाग के समक्ष दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत किया था। विपक्षी विभाग के द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2023 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और उनके प्रतिष्ठान पर स्थापित उनका उपरोक्त विद्युत संयोजन, उनके प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद भी विच्छेदित नहीं किया गया और लगातार उनके उक्त संयोजन को विपक्षी विभाग द्वारा, उनके द्वारा उपभोग नहीं किए जाने के उपरांत भी गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से लगातार गतिमान दर्शाया गया। जबकि उनके द्वारा उक्त संयोजन को विच्छेदित हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी प्रकार से उपभोग नहीं किया गया। उन्होंने कई बार विपक्षी विभाग के कर्मचारियों से उनके प्रतिष्ठान पर स्थापित विद्युत संयोजन उपरोक्त को विच्छेदित किए जाने के सम्बंध में जानकारी करनी चाही परंतु विपक्षी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनको कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और हर बार यह कह कर टाल दिया गया कि जब भी विभाग आपके विद्युत संयोजन विच्छेदित के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही करेंगे तो उनको सूचित कर दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनका कार्य बंद करने के बाद, दिनांक 27.03.2023 को, विपक्षी विभाग के समक्ष, उनका विद्युत संयोजन विच्छेदित किए जाने हेतु, प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2023 प्रस्तुत कर दिया था। परंतु उनके प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की कोई सूचना विपक्षी विभाग द्वारा

क्रमशः.....02

किसी भी प्रकार से उनको नहीं दी गई। विपक्षी विभाग द्वारा, आज तक, उनके विद्युत संयोजन को विच्छेदित किए जाने के सम्बंध में उनको कोई जानकारी नहीं दी और ना ही, उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार के बकाया से अवगत कराया और ना ही उनको किसी भी प्रकार के बकाया के सम्बंध में कोई नोटिस इत्यादि प्रेषित किया गया है। उनको अंदेशा है कि विपक्षी विभाग नफा, नाजायज कमाने के उद्देश्य से, भविष्य में उनके ऊपर नाजायज धनराशि अधिरोपित कर, उस नाजायज धनराशि को जमा कराने का दबाव, उनके ऊपर, बना सकता है। उनके ऊपर विपक्षी विभाग की दिनांक 27.03.2023 से पूर्व की कोई धनराशि यदि बकाया है तो वह उस बकाया धनराशि को जमा करने के लिए तैयार हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाए कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000194457 को, उनके द्वारा दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत, विद्युत संयोजन विच्छेदन प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल विच्छेदित करे। विपक्षी को आदेशित किया जाए कि उनके विद्युत संयोजन के विच्छेदन के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने की दिनांक 27.03.2023 से पूर्व की कोई बकाया धनराशि, यदि उनके ऊपर वाजिब है, तो विपक्षीगण उस बकाया धनराशि से उनको एक सप्ताह के भीतर अवगत कराये। अन्य कोई अनुतोष जो मंच की राय मे उचित हो वह भी उनको विपक्षी से दिलाया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र दिनांकित 31.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता का विद्युत संयोजन उनके क्षेत्राधिकार में स्थित चला आता है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर योजित की गयी है तथा सही तथ्यों का उल्लेख जानबूझकर माननीय आयोग के समक्ष नहीं किया गया है। इसलिए उक्त शिकायत इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है। शिकायतकर्ता का विद्युत कनैक्शन सं0 जेडब्ल्यू0के000194477, स्वीकृत भार 10 किलोवाट का होना स्वीकार है, परंतु निरंतर बिलों का भुगतान किया जाना स्वीकार नहीं है। शिकायतकर्ता को दिनांक 18.07.2020 को, विद्युत कनैक्शन रिलीज किया गया था, उसके उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 29.03.2023 को, प्रथम बार बिल का भुगतान रू0. 42200.00 किया गया था और उसके उपरांत दिनांक 30.04.2025 तक कनैक्शन फाईनल पी0डी0 किये जाने तक किसी विद्युत देय का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा आज तक नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि वादी की कोई फर्म, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2022 को, पी0आई0एल0 सं0 100/2022 के संबंध में, बंद करने के आदेश पारित किये गये हैं की प्रथम बार जानकारी उक्त वाद योजित करने के उपरांत प्राप्त हुए नोटिस से हुई है और न ही विपक्षी विभाग पी0आई0एल0 सं0 100/2022 में पक्षकार था। शिकायतकर्ता का यह कथन कि वादी के प्रतिष्ठान पर कार्य संचालन बंद होने के उपरांत वादी ने विपक्षी विभाग को विद्युत संयोजन को विच्छेदित किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2023 व 27.03.2023 को प्रेषित किया गया, समस्त कथन गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित हैं। ऐसे कोई पत्र विपक्षी कार्यालय में नही दिया गया है। शिकायती पत्र के साथ जो संलग्नक दाखिल किया गया है उस पर कोई विभागीय प्राप्ति नहीं है और वादी द्वारा उक्त शिकायत को रंगत देने के उद्देश्य से उक्त पत्र संलग्नक किया गया है। शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि विपक्षी विभाग द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2023 पर, कोई कार्यवाही नहीं की गयी हो और सूचना देने के बाद भी विद्युत कनैक्शन विच्छेदित नहीं किया गया है, समस्त कथन गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित हैं। दिनांक 25.03.2023 का कोई प्रार्थना पत्र वादी द्वारा विपक्षी विभाग के कार्यालय में नहीं दिया गया था।

शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि विपक्षी के कर्मचारियों से वादी द्वारा विद्युत कनैक्शन को विच्छेदित किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गयी, परंतु विपक्षी के कर्मचारियों द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर

क्रमशः.....03

न देकर टालमटोल की गयी, गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित है। दिनांक 25.03.2023 को अथवा उक्त वाद योजित करने से पूर्व कोई शिकायत अथवा प्रार्थना पत्र विद्युत कनैक्शन विच्छेदित किये जाने के बाबत शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी विभाग में नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपना कार्य बंद करने के बाद दिनांक 27.03.2023 को विपक्षी विभाग के समक्ष अपना विद्युत संयोजन विच्छेदित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2023 को प्रस्तुत किया गया हो के समस्त कथन गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित है। उक्त कथन शिकायत को रंगत देने के उद्देश्य से अंकित किये गये हैं। शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि विभाग द्वारा विद्युत संयोजन को विच्छेदित किये जाने के संबंध में शिकायतकर्ता को कोई जानकारी नहीं दी है और न ही प्रार्थी को उसके विरूद्ध किसी भी विद्युत देय के बकाया से अवगत न कराया गया हो के समस्त कथन गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित है, बल्कि सही तथ्य यह है कि विद्युत देय का भुगतान न किये जाने के कारण दिनांक 30.04.2025 को शिकायतकर्ता के विद्युत कनैक्शन को फाईनल रूप से पी0डी0 कर दिया गया था। जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को संपूर्ण जानकारी समय—समय पर उपलब्ध करायी गयी। शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि दिनांक 27.04.2023 से पूर्व की बकाया धनराशि को शिकायतकर्ता जमा करने को तैयार है। उक्त कथन माननीय मंच को भ्रमित करने के उद्देश्य से अंकित किये गये है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 18.07.2020 को कनैक्शन रिलीज किये जाने के उपरांत मात्र एक बार आंशिक बिल का भुगतान दिनांक 29.03.2023 को रू0. 42200.00 किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता की ओर उक्त तिथि को देय विद्युत बिल रू0. 46914.00 था और दिनांक 30.04.2025 को पी0डी0 फाईनल किये जाने के समय विद्युत बिल रू0. 55700.00 शिकायतकर्ता की ओर वाजिब चला आता है जिसे वह किसी भी कार्य दिवस पर जमा करा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसकी बाबत अवगत कराना है कि दिनांक 27.03.2025 का कोई पत्र विपक्षी विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वादी अपना कनैक्शन विच्छेदित कराना चाहता है तो देय धनराशि का भुगतान कर निर्धारित प्रारूप में फार्म भरकर अपना विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा जो अनुतोष की मांग की गयी है उसके संबंध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता पर दिनांक 30.04.2025 तक रू0. 55700.00 बकाया चले आते हैं, जिसके संबंध में नियमानुसार जिस भी तथ्य पर जानकारी विपक्षी चाहता है, किसी भी कार्य दिवस में आकर विभागीय कार्यालय से प्राप्त कर सकता है तथा किसी भी अनुतोष को शिकायतकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए उक्त शिकायत मय विशेष हर्जा निरस्त होने योग्य है।

परिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में कथन किया है कि विपक्षी विभाग के द्वारा मनगढंत तथ्यो के आधार पर अपने कर्मचारियों के द्वारा गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से शिकायतकर्ता के ऊपर की गई कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से आपत्ति मंच के समक्ष दाखिल की है, जो हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। विपक्षी विभाग ने उनके द्वारा बिल जमा नहीं किए जाने का कथन मात्र अपने कथनों को बल देने के उद्देश से किया गया है। जबकि उनके द्वारा अपने विद्युत संयोजन का बिल ऑनलाइन माध्यम से जमा किया गया है। विपक्षी विभाग के द्वारा कथन किया गया है कि, विपक्षी विभाग को शिकायतकर्ता की फर्म से सम्बन्धित पी0आई0एल0 सं0 100/2022 के सम्बंध में वाद योजित होने के बाद प्रथम बार जानकारी हुई है। जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा विपक्षी विभाग को अपने प्रार्थना दिनांकित 25.03.2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आधार पर अपनी कम्पनी अग्रिम रूप से नहीं चला पाने एवं विद्युत संयोजन विच्छेदित करने के विषय में अवगत करा दिया था, उनके द्वारा 25.03.2023 के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी विभाग की रिसीविंग दर्ज चली आती है। इसके अलावा उक्त पी0आई0एल0 में माननीय जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को पक्षकार के रूप में स्थापित किया गया है। किसी भी जिले के

क्रमशः.....04

समस्त शासकीय विभाग जिलाधिकारी के अंतर्गत आते है। जिसके चलते स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग उत्तराखण्ड शासन का विभाग होने के चलते जिलाधिकारी, हरिद्वार के अन्तर्गत आता है जिस कारण से उक्त आदेश के सम्बंध मे विपक्षी विभाग को पूर्ण जानकारी चली आती थी। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर में अंकित किया है कि, शिकातकर्ता के द्वारा दिनांक 25.03.2023 का कोई प्रार्थना पत्र, विपक्षी विभाग के समक्ष दिनांक 27.03.2023 प्रस्तुत नहीं किया गया और जो पत्र शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है, उस पर कोई विभागीय प्राप्ति नही है, शिकायतकर्ता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाकर विपक्षी विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2023 विद्युत संयोजन विच्छेदित किए जाने हेतु, दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विपक्षी विभाग के कर्मचारी के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित है। उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की छायाप्रति शिकायत पत्र के साथ संलग्न की जा चुकी है। विपक्षी विभाग के उत्तर पत्र में उनके विरूद्ध यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा विपक्षी विभाग को कोई प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2023 दिनांक 27.03.2023 को प्रेषित कर सूचना प्रदान नही की और उनके ऊपर विपक्षी विभाग का बकाया चला आता है, जिसके चलते उनको कनैक्शन, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2025 को पी0डी0 किए जाने का कथन किया गया है। जबकि वास्तविकता मे विपक्षी विभाग के समक्ष कनैक्शन विच्छेदित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत विपक्षी विभाग के द्वारा उनको किसी भी बकाया के बारे मे कोई सूचना प्रदान नही की गयी और ना ही कोई सूचना प्रदान किए जाने का कोई साक्ष्य विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न किया है। ऐसी स्थिति मे भी उनके द्वारा कनैक्शन विच्छेदित कराने के लिए विपक्षी विभाग का सम्पूर्ण बकाया कुल मुबलिग रू0 42000.00 का भुगतान दिनांक 29.03.2023 को करा दिया गया था। उनके द्वारा रू0 42000.00 का भुगतान दिनांक 29.03.2023 मे किए जाने का कथन, विपक्षी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है। जब उनके द्वारा बकाए का अंतिम भुगतान दिनांक 29.03.2023 में किया था, और उसके उपरांत भी उनके उपर विपक्षी विभाग कुछ बकाया शेष था तो ऐसी स्थिति मे विद्युत विच्छेदन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत विभाग के द्वारा उनको बकाया का कोई नोटिस किसी भी माध्यम से प्रेषित नही किया गया। इसके अलावा भी विपक्षी विभाग के द्वारा उनके उपर बकाया होने के चलते भी उनका विद्युत संयोजन, करीब 25 माह तक गतिमान रखने का कोई कारण, सम्पूर्ण उत्तर पत्र में कही पर भी अंकित नहीं किया गया है। किसी उपभोक्ता के द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सप्लाई कोड 2020 का चैप्टर सं0 06 Disconnection & Reconnection का नियम 6.1 "Disconnection on non-payment of the licensee's Dues का उप–नियम 1 "The Bill issued by the Licensee to the consumer shall be treated as Bill-cum Disconnection notice. By Bill-Cum-Disconnection notice, it is meant that the Licecense shall give due date of atlest 15 days for payment of dues from the bill date and subsequent to the due date, the Licensee shall give 15 days for disconnection as per section 56 of the act. Thereafter, the Licensee may temporarily disconnection the consumer's installation on expiry of the said notice period by disconnecting service line/connection from distributing mains. If the consumer does not clear all dues including arrear within 6 months of temporary disconnection, such connection shall be disconnected permanently by removing meter and other equipment as the case may be, installed at the consumer's premises for connection. Final amount due to consumer shall be adjested against the security deposit including interest

क्रमशः.....05

on the same and balance recoverable amount shall be recovered through the applicable laws of Revenue Recovery" प्रावधानवित करता है। जिसके उपरांत भी विपक्षी विभाग ने उनका विद्युत संयोजन को माह 30.04.2025 तक करीब 25 माह तक नियमों के विरूद्ध गतिमान रखा और उनके विरूद्ध शुल्क एवं पैनाल्टी लगातार लगाये गये, जबकि विपक्षी विभाग को उनके द्वारा बिल जमा नहीं किए जाने की स्थिति मे उसका कनैक्शन एक माह के उपरांत Temporarily Disconnect कर देना चाहिए था एवं उसके उपरांत 06 माह के पश्चात उनका विद्युत संयोजन पूर्ण रूप से विच्छेदित कर मीटर उनके प्रतिष्ठान से हटा लेना चाहिए था। जबकि विपक्षी विभाग ने नफा नाजायज कमाने के उद्देश्य से उनके विद्युत संयोजन को नियमो के विपरित 30.04.2025 तक गतिमान रख, गलत तरीके से उनके विरूद्ध शुल्क एवं पैनाल्टी लगाई गयी। जबकि उनके द्वारा समयानुसार 27.03.2023 को ही, विपक्षी विभाग को विद्युत संयोजन विच्छेदित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2023 प्रेषित कर सूचना प्रदान कर दी गई थी। उनके द्वारा विपक्षी विभाग के कर्मचारी के द्वारा हस्ताक्षर कर रिसीविंग भी प्रदान की गई है। विपक्षी विभाग के द्वारा उनके विद्युत संयोजन पर अंतिम बार 29.03.2023 को भुगतान किए जाने का कथन किया है और उसके अलावा भी बकाया होने का कथन किया है। जिसके पश्चात दिनांक 30.04.2025 को सीधे तौर पर उनके विद्युत संयोजन पी0डी0 किए जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने सम्पूर्ण उत्तर पत्र में कही भी उनका विद्युत संयोजन को पी0डी0 करने के पूर्व, नियमानुसार टी0डी0 करने का दिनांक का कथन नहीं किया है। विपक्षी विभाग के इस कृत्य से उनको नाजायज रूप से परेशान करने की विद्युत विभाग की मंशा स्वयं उजागर हो हो जाती है। जबकि उनके के ऊपर विपक्षी विभाग को रू0 55700.00 का कोई बकाया नही चला आता है। विपक्षी विभाग के द्वारा उनका कनैक्शन मात्र कागजों में नियमो के विरूद्ध मात्र नफा नजायज कमाने के उद्देश्य से गतिमान दिखाया गया है। जबकि उनके प्रतिष्ठान पर 01.12.2022 के उपरांत कोई बिद्युत उपभोग नहीं किया गया। उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय या बाद विपक्षी विभाग के द्वारा उनके संयोजन विच्छेदन हेतु किसी निर्धारित प्रारूप के विषय में अवगत नही कराया गया, इसके अलावा विद्युत विभाग के द्वारा उनका विद्युत संयोजन 30.04.2025 तक गतिमान रख गलत तरीके से उनके विरूद्ध शुल्क एवं पेनाल्टी लगाई। उनके विद्युत संयोजन की कनैक्शन हिस्ट्री का अवलोकन करने से अवगत हुआ कि, विपक्षी विभाग के द्वारा उनके विद्युत संयोजन पर माह जनवरी 2023 से माह नवम्बर 2023 तक व इसके अलावा जनवरी 2025 मे भी विद्युत उपभोग दर्शाया गया है, जबकि उनके द्वारा 01.12.2022 के वाद अपने प्रतिष्ठान पर कोई विद्युत उपभोग नहीं किया गया। इस विषय में यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के समक्ष विचाराधीन पी0आई0एल0 सं0 100/2022 के अनुपालन मे प्रदूषण विभाग के द्वारा उनके प्रतिष्ठान का दो बार दिनांक 23.12.2022 एवं 23.06.2023 को निरीक्षण किया गया। उक्त दोनों दिनांक कि आख्या में निरीक्षणकर्ता के द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, कि उनका उद्योग बंद है, ईकाई से मशीनरी हटाई गई है एवं वर्तमान में ईकाई का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उनका प्रतिष्ठान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.12.2022 के उपरांत कभी भी संचालन मे नहीं रहा है और ना ही उक्त प्रतिष्ठान पर कोई विद्युत उपभोग 01.12.2022 के उपरांत हुआ है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि विद्युत विभाग ने नफा नाजायज कमाने के उद्देश्य से उनके प्रतिष्ठान पर गलत तरीके से विद्युत उपभोग दर्शीत किया गया है, आख्या दिनांकित 23.12.2022 व 23.06.2023 कि छायाप्रति प्रतिउत्तर पत्र के साथ पत्रावली में दाखिल किया गया है। उनके माह दिसम्बर 2022 तक का अपना विद्युत बकाया जमा करने के लिए तैयार हैं। जबकि विपक्षी विभाग उनको इसके सही बिल की धनराशि से अवगत नहीं करा कर अकारण लगाई गए शुल्क पैनॉल्टी की कुल धनराशि को

क्रमशः.....06

जमा कराने का गलत तरीके से दबाव बना रहा है। जबकि उनके विरूद्ध विपक्षी विभाग का कोई बकाया शेष नहीं है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त तथ्यों के साथ साथ अन्य तथ्यों के आधार पर भी विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र निरस्त करने के एवं उनका परिवाद स्वीकार करने के आदेश पारित कर दिये जाए।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री कुनाल शर्मा तथा विपक्षी के प्रतिनिधि श्री नितिन गर्ग उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 18.07.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.11.2023 तक, परिवादी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या–8801884 पर दर्ज, विद्युत खपत/रीडिंग–7866 केडब्लूएच के आधार पर, तद्पश्चात दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 28.11.2024 तक, शून्य विद्युत खपत के सापेक्ष, एमयू आधार पर तथा दिनांक 18.01.2025 को एनआर आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, पूर्व में भी, दिनांक 21.10.2020 से दिनांक 23.12.2022 तक की अवधि में, विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन को, दिनांक 11.02.2025 को, विच्छेदित किया गया है। परिवादी के कथनानुसार, प्रश्नगत उक्त विद्युत संयोजन को विच्छेदित किए जाने हेतु, एक पत्र, दिनांक 25.03.2023 को, विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया था परंतु विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन को, समय पर, विच्छेदित नहीं किया गया। परिवादी द्वारा जारी उक्त पत्र संख्या–शून्य दिनांक 25.03.2023 की छाया प्रति, पत्रावली पर उपलब्ध है परंतु परिवादी द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 6.2 (1) के अनुसार विनियम के अनुसंलग्नक-X में निदिष्ट प्रारूप में, विच्छेदन हेतु, स्थायी विच्छेदन की वास्तविक तिथि का उल्लेख करते हुए, कोई भी आवेदन, विपक्षी विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत संयोजन को विच्छेदित किए जाने हेतु प्रस्तुत पत्र के जारी किए जाने की तिथि 25.03.2023 से पूर्व दिनांक 21.03.2023 को जारी बिल के सापेक्ष रू0 46914.00 की धनराशि, विद्युत बकाया के रूप में परिवादी द्वारा देय थी जिसके विरूद्ध परिवादी द्वारा पार्ट पेमेंट के रूप में रू0 42200.00 की धनराशि का भुगतान, दिनांक 29.03.2023 को किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 18.07.2020 को प्रश्नगत विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के उपरांत, जारी विद्युत बिलों के सापेक्ष मात्र एक बार, रू0 42200.00 की धनराशि का आंशिक भुगतान, दिनांक 29.03.2023 को किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत बकाये के सापेक्ष परिवादी के प्रश्नगत उक्त संयोजन को, स्थायी रूप से दिनांक 30.04.2025 को, विच्छेदित किए जाने के पश्चात, विद्युत बिल की अंतिम धनराशि रू0 55780.00 परिवादी द्वारा देय है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000194457 को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने हेतु, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्या य 6.2 (1) में निदिष्ट शर्तों/प्रकियाओं का पालन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 6.1 (1) में निदिष्ट प्रकियाओं के सापेक्ष, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने की कार्यवाही की गई है जो कि सही प्रतीत

क्रमशः.....07

होती है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/04/2026

28/04/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।